जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान/2021/डी-295 दिनांक 15-9-21

आम सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 23 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है। तत्पश्चात मास्टर विकास योजना–2025 के अन्तर्गत जोनल विकास योजना–03 प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (लेआउट प्लान) की 225वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। मास्टर विकास योजना –2025 तथा जोनल विकास योजना–03 में गोपालपुरा बाईपास सडक के दोनो ओर सडक की चौडाई का डेढ़ गुणा तक व्यावसायिक भूउपयोग दर्शाया गया है। नगरीय विकास विभाग के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 14.02.2021 में मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित वाणिज्यिक भू–उपयोग के अनुरूप भू–उपयोग/भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में "गोपालपुरा बाईपास पायलट प्रोजेक्ट" तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। जयपुर विकास प्राधिकरण की पी.डब्ल्यू.सी समिति की बैठक क्रमांक 05/2021–22 दिनांक 26.07.2021 में गोपालपुरा बाईपास सडक के दोनों ओर स्थित भूखण्डों (सवाई माधोपुर रेलवे फ्लाई ओवर के दोनों ओर स्थित भूखण्डों सहित) का भू–उपयोग व्यावसायिक निर्धारित करते हुये "गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डवलपमेंट प्लान" अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(3) के अन्तर्गत **"गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डवलपमेंट प्लान"** के संबंध में जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है।

गोपालपुरा बाईपास विशेष योजना डवलपमेंट प्लान के प्रस्तावित प्रावधानों का विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्थित नागरिक सेवा केन्द्र भवन की द्वितीय मंजिल पर कार्यालय समय में मास्टर प्लान शाखा व जविप्रा की website www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। **गोपालपुरा बाईपास विशेष योजना डवलपमेंट प्लान** के संबंध में कोई भी संस्था/ व्यक्ति/जनसाधारण अपने आपत्ति/सुझाव, अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में, अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि / परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान / एल.पी. / प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन–1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर–I, II / दक्षिण–I,II), जविप्रा, जयपुर।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
11. जनसंपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो–दो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
13. नोटिस बोर्ड।

अति.मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {1140}; ई-मेल : actpmp2025@gmail.com